प्रेस विज्ञप्ति
24.12.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत लगभग 63.05 करोड़ रुपये (अधिग्रहण के समय का मूल्य) की कुर्क की गई संपत्तियों को भारतीय स्टेट बैंक (62.30 करोड़ रुपये) और यूको बैंक (75 लाख रुपये) को सफलतापूर्वक वापस कर दिया है। उक्त संपत्तियां मेसर्स जी.एस. ऑयल्स लिमिटेड के मामले में पीएमएलए जांच के दौरान कुर्क की गई थीं।

ईडी ने 2016 में मेसर्स जी.एस. ऑयल्स लिमिटेड और अन्य के खिलाफ सीबीआई, बीएस एंड एफसी, बैंगलोर और सीबीआई, एसीबी, नागपुर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। ये एफआईआर एसबीआई और यूको बैंक द्वारा मेसर्स जी.एस. ऑयल्स लिमिटेड और अन्य के खिलाफ दायर शिकायतों पर आधारित थीं, जिनमें आरोप लगाया गया था कि मेसर्स जी.एस. ऑयल्स लिमिटेड और अन्य ने ऐसे ऋण स्वीकृत करवाए जो भुगतान न होने के कारण एनपीए बन गए, जिससे एसबीआई को लगभग 274 करोड़ रुपये और यूको बैंक को 32.33 करोड़ रुपये का अनुचित नुकसान हुआ।

ईडी की जांच में पता चला कि मेसर्स जी.एस. ऑयल्स लिमिटेड ने एसबीआई और यूको बैंक से विभिन्न ऋण सुविधाएं ली थीं। आरोपियों द्वारा किए गए धोखाधड़ी के कारण ये सभी ऋण निष्पादित (एनपीए) हो गए। ऋणों को कई सहयोगी कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया गया और बाद में या तो नकद में निकाल लिया गया या सहयोगी कंपनियों के नाम पर जमीन खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसे फिर से अधिक ऋण लेने के लिए गिरवी रख दिया गया। जांच में यह भी पता चला कि फर्जी सामग्री आपूर्ति के लिए संबंधित शेल फर्मों को धोखाधड़ी से लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) जारी करके बैंकों की बड़ी धनराशि का गबन किया गया था। इन एलसी को रद्द कर दिया गया और उक्त धनराशि को अवैध रूप से इसके प्रमोटरों को वापस भेज दिया गया, जिससे अंततः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के बैंकों को भारी वित्तीय नुकसान हुआ।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक को माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, नामपल्ली, हैदराबाद के समक्ष पीएमएलए, 2002 की धारा 8(8) के तहत बहाली आवेदन दाखिल करने के लिए कहा गया था और ईडी ने उसके द्वारा कुर्क की गई अचल संपत्तियों की बहाली के लिए सहमति व्यक्त की ताकि ऐसी कुर्क की गई संपत्तियों को धोखाधड़ी के पीड़ितों यानी एसबीआई और यूको बैंक को वापस किया जा सके।

हैदराबाद स्थित माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, नामपल्ली, हैदराबाद ने दिनांक 24.03.2025 और 17.12.2025 के आदेशों के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक द्वारा दायर पुनर्स्थापन याचिकाओं को स्वीकार कर लिया, जिससे कुर्क की गई संपत्तियों की बहाली का मार्ग प्रशस्त हो गया। माननीय न्यायालय द्वारा जिन कुर्क संपत्तियों के लिए पुनर्स्थापन की अनुमति दी गई है, उनमें तेलंगाना के आदिलाबाद, आसिफाबाद और मंचरियाल जिलों के साथ-साथ महाराष्ट्र के वानी में स्थित कृषि और औद्योगिक भूमि शामिल हैं।

यह पुनर्स्थापन प्रक्रिया ईडी द्वारा संपत्तियों को उनके सही हकदारों को वापस दिलाने और अपराध से प्राप्त आय को प्रभावित लोगों तक पहुंचाने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है।